(b) what are the different schemes in operation to give effect to the policy in this rgard; and

(c) what are the results achieved so far with special reference to Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) The Central Government has been pursuing a policy of supplementing the efforts of industrialisation by the State Governments in backward areas by providing infrastructural facilities for industrial development.

(b) For promoting industrialisation of backward areas, the Government have announced a Scheme of Growth Centres. These Growth Centres would be endowed with basic infrasfrastructural facilities in respect of power, water, telecommunication and banking to attract industries in these areas. The Government is also operating a Transport Subsidy Scheme applicable to certain hilly, remote and inaccessible areas of the country.

(c) In so far as Madhya Pradesh is concerned, the State has been allocated six growth centres under the Growth Centre Scheme and the locations of these centres are Borai in Durg district, Chainpura in Guna district, Ghirongi in Bhind district, Kheda in Dhar District, Satlapur in Raisen district and Siltara in Raipur district. The project reports in respect of the growth centres at Borai, Chainpura, Ghirongi, Kheda and Siltara have been approved and the State Government have started implementing the projects approved. An amount of Rs. 8.00 crores has been released to the State Government towards Central Assistance under the Scheme.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबन्ध निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही

1549. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी उपक्रम के प्रबंध निदेशक के गलत कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध कार्यवाही करते संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशकों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा वे किन-किन उपक्रमों में कार्यरत थे और उन्हें दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) सरकारी उद्यमों के प्रबंध निदेशक सम्बद्ध उद्यमों के आचार, अनुशासन एवं अपील नियमावली द्वारा शासित होते हैं । बहरहाल, सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करने वाले किसी अन्य संगठित संवर्ग के कार्यपालकों को उनके मूल संवर्ग में लागू आचार नियमों द्वारा शासित किया जाता है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु उद्योग को प्रदान किए गए ऋण

1550. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिल्ली प्रशासन द्वारा लघु उद्योगों को कुल कितनी धनराशि ऋणस्वरूप दी गई थी ; और

(ख) इसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए ऋण की धनराशि कितनी-कितनी थी ?